<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टी.ए./1396/2005/बून्दी
ग्यारसा बनाम मू.महादेवजी</td><td>नम्बर व तारीख</td></tr>
<tr><td></td><td>

न्यायालय - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री राम रघुनाथ सिंह ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा वाद संख्या 493/2000 बउनवानी मूर्ति महादेव बनाम ग्यारसा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-02-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी के प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादपत्र के खसरा नम्बर 1419 के स्थान पर 1418 सहवन से लिखा जाना मानकर प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया है और उपरोक्त संशोधन मात्र टंकन भूल है और इस संशोधन को करने से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना स्वीकार करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है और न ही उक्त आदेश अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है। इसलिए निगरानी खारिज किए जाने योग्य है और खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

</td><td></td></tr>
</table>